

1236/ACTT/14047
28.10.2020

C-1003000/KGST

28/10/2020

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

216/187
28/10/2020

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, 1st FLOOR, NEW DELHI-110002

No.F3(27)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS-IV/129

Dated: 28/10/20

Notification No 16/2020- State Tax

No. F.3 (27)/Fin (Rev-I)/2020-21/DS-IV / - In exercise of the powers conferred by section 164 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (33 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Delhi Goods and Services Tax (Third Amendment) Rules, 2020.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force with effect from the 23rd day of March, 2020.

2. In the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 8, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(4A) The applicant shall, while submitting an application under sub-rule (4), with effect from 01.04.2020, undergo authentication of Aadhaar number for grant of registration."

3. In the said rules, in rule 9, in sub-rule (1), with effect from 01.04.2020, the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"Provided that where a person, other than those notified under sub-section (6D) of section 25, fails to undergo authentication of Aadhaar number as specified in sub-rule (4A) of rule 8, then the registration shall be granted only after physical verification of the principle place of business in the presence of the said person, not later than sixty days from the date of application, in the manner provided under rule 25 and the provisions of sub-rule (5) shall not be applicable in such cases."

4. In the said rules, for rule 25, the following rule shall be substituted, namely:-

"Physical verification of business premises in certain cases.-Where the proper officer is satisfied that the physical verification of the place of business of a person is required due to failure of Aadhaar authentication before the grant of registration, or due to any other reason

Ms. Poonam / Incharge, EDP Branch
GST
26/10/2020

ACCB
28/10/2020

Heela
28/10/2020
SA-II

after the grant of registration, he may get such verification of the place of business, in the presence of the said person, done and the verification report along with the other documents, including photographs, shall be uploaded in **FORM GST REG-39** on the common portal within a period of fifteen working days following the date of such verification."

5. In the said rules, in rule 43, in sub-rule (1) with effect from the 1st April, 2020:-

(a) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-

"(c) the amount of input tax in respect of capital goods not covered under clauses (a) and (b), denoted as 'A', being the amount of tax as reflected on the invoice, shall credit directly to the electronic credit ledger and the validity of the useful life of such goods shall extend upto five years from the date of the invoice for such goods:

Provided that where any capital goods earlier covered under clause (a) is subsequently covered under this clause, input tax in respect of such capital goods denoted as 'A' shall be credited to the electronic credit ledger subject to the condition that the ineligible credit attributable to the period during which such capital goods were covered by clause (a), denoted as 'T₁', shall be calculated at the rate of five percentage points for every quarter or part thereof and added to the output tax liability of the tax period in which such credit is claimed:

Provided further that the amount 'T₁' shall be computed separately for input tax credit of central tax, State tax, Union territory tax and integrated tax and declared in **FORM GSTR-3B**.

Explanation:- An item of capital goods declared under clause (a) on its receipt shall not attract the provisions of sub-section (4) of section 18, if it is subsequently covered under this clause."

(b) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:-

"the aggregate of the amounts of 'A' credited to the electronic credit ledger under clause (c) in respect of common capital goods whose useful life remains during the tax period, to be denoted as 'T₂', shall be the common credit in respect of such capital goods:

Provided that where any capital goods earlier covered under clause (b) are subsequently covered under clause (c), the input tax credit claimed in respect of such capital good(s) shall be added to arrive at the aggregate value 'T₂';

(c) in clause (e), the following Explanation shall be inserted, namely:-

"Explanation.- For the removal of doubt, it is clarified that useful life of any capital goods shall be considered as five years from the date of invoice and the said formula shall be applicable during the useful life of the said capital goods.";

(d) clause (f) shall be omitted.

6. In the said rules, in rule 80, in sub-clause (3), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that every registered person whose aggregate turnover during the financial year 2018-2019 exceeds five crore rupees shall get his accounts audited as specified under sub-section (5) of section 35 and he shall furnish a copy of audited annual accounts and a reconciliation statement, duly certified, in **FORM GSTR-9C** for the financial year 2018-2019, electronically through the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner."

7. In the said rules, in rule 86, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(4A) Where a registered person has claimed refund of any amount paid as tax wrongly paid or paid in excess for which debit has been made from the electronic credit ledger, the said amount, if found admissible, shall be re-credited in the electronic credit ledger by the proper officer by an order made in **FORM GST PMT-03**."

8. In the said rules, in rule 89, in sub-rule (4), for clause (C), the following clause shall be substituted, namely:-

"(C) "Turnover of zero-rated supply of goods" means the value of zero-rated supply of goods made during the relevant period without payment of tax under bond or letter of undertaking or the value which is 1.5 times the value of like goods domestically supplied by the same or, similarly placed, supplier, as declared by the supplier, whichever is less, other than the turnover of supplies in respect of which refund is claimed under sub-rules (4A) or (4B) or both;"

9. In the said rules, in rule 92,-

(a) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(1A) Where, upon examination of the application of refund of any amount paid as tax other than the refund of tax paid on zero-rated supplies or deemed export, the proper officer is satisfied that a refund under sub-section (5) of section 54 of the Act is due and payable to the applicant, he shall make an order in **FORM RFD-06** sanctioning the amount of refund to be paid, in cash, proportionate to the amount debited in cash against the total amount paid for discharging tax liability for the relevant period, mentioning therein the amount adjusted against any outstanding demand under the Act or under any existing law and the balance amount refundable and for the remaining amount which has been debited from the electronic credit ledger for making payment of such tax, the proper officer shall issue **FORM GST PMT-03** re-crediting the said amount as Input Tax Credit in electronic credit ledger."

(b) in sub-rule (4), after the words, brackets and figure "amount refundable under sub-rule (1)", the words, brackets, figure and letter "or sub-rule (1A)", shall be inserted;

(c) in sub-rule (5), after the words, brackets and figure "amount refundable under sub-rule (1)", the words, figures and letter "or sub-rule (1A)", shall be inserted.

10. In the said rules, in rule 96, in sub-rule (10), in clause (b) with effect from the 23rd October, 2017, the following Explanation shall be inserted, namely:-

"Explanation:- For the purpose of this sub-rule, the benefit of the notifications mentioned therein shall not be considered to have been availed only where the registered person has paid Integrated Goods and Services Tax and Compensation Cess on inputs and has availed exemption of only Basic Customs Duty (BCD) under the said notifications."

11. In the said rules, after rule 96A, the following rule shall be inserted, namely:-

"96B. Recovery of refund of unutilised input tax credit or integrated tax paid on export of goods where export proceeds not realised. - (1) Where any refund of unutilised input tax credit on account of export of goods or of integrated tax paid on export of goods has been paid to an applicant but the sale proceeds in respect of such export goods have not been realised, in full or in part, in India within the period allowed under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), including any extension of such period, the person to whom the refund has been made shall deposit the amount so refunded, to the extent of non-realisation of sale proceeds, along with applicable interest within thirty days of the expiry of the said period or, as the case may be, the extended period, failing which the amount

refunded shall be recovered in accordance with the provisions of section 73 or 74 of the Act, as the case may be, as is applicable for recovery of erroneous refund, along with interest under section 50:

Provided that where sale proceeds, or any part thereof, in respect of such export goods are not realised by the applicant within the period allowed under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), but the Reserve Bank of India writes off the requirement of realisation of sale proceeds on merits, the refund paid to the applicant shall not be recovered.

(2) Where the sale proceeds are realised by the applicant, in full or part, after the amount of refund has been recovered from him under sub-rule (1) and the applicant produces evidence about such realisation within a period of three months from the date of realisation of sale proceeds, the amount so recovered shall be refunded by the proper officer, to the applicant to the extent of realisation of sale proceeds, provided the sale proceeds have been realised within such extended period as permitted by the Reserve Bank of India."

12. In the said rules, in rule 141, in sub-rule (2), for the word "Commissioner", the words "proper officer" shall be substituted.

13. In the said rules, in FORM GST RFD-01, after the declaration under rule 89(2)(g), the following undertaking shall be inserted, namely:-

"UNDERTAKING"

I hereby undertake to deposit to the Government the amount of refund sanctioned along with interest in case of non-receipt of foreign exchange remittances as per the proviso to section 16 of the IGST Act, 2017 read with rule 96B of the CGST Rules 2017.

Signature-

Name -

Designation / Status",

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Manoj Kumar)

Dy. Secretary IV (Finance)

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Principal Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
3. The Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
8. The S.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
9. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. Website.
11. Guard File.

(Manoj Kumar)
Dy. Secretary IV (Finance)

Note: The principal rules were published in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV, (i) vide notification dated the 22nd June, 2017, published vide No. F.3 (10)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/3-2, dated the 22nd June, 2017 and last amended vide Notification No. 08/2020-State Tax, dated 11/10/2020, published vide No. F.3 (46)/Fin (Rev-I)/2020-21/DS-IV/126, dated 21/10/2020.

(दिल्ली राजपत्र अध्यादेश के माग धार में प्रकाशनाधी)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व-1) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

सं/का 03(27)/वित्त (राजस्व-1)/2020-21/डीएस-IV /1/19

दिनांक: 23/10/20

अधिसूचना संख्या 16/2020-राज्य कर

सं.का. 03(27)/वित्त(राजस्व-1)/2020-21/डीएस- IV / : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली माल और सेवा कर नियम में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवा कर (सीधारा संशोधन) नियम, 2020 है।
(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये 29 मार्च, 2020 से प्रवृत्त होंगे।
2. दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसकी पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 8 में, 1 अप्रैल, 2020 से, उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतर्स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“(4क) आवेदक, उपधारा (4) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करते समय रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के लिए आधार संख्या अधिग्रहण करवाएगा।”
3. उक्त नियमों में, 1 अप्रैल, 2020 से, नियम 8 के उपनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित अंतर्स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“परंतु जहां धारा 25 की उपधारा (6घ) के अंतर्गत अधिसूचित व्यक्तियों से भिन्न कोई व्यक्ति, नियम 8 के उपनियम (4क) में यथा-निर्दिष्ट आधार संख्या का अधिग्रहण करने में असमर्थ रहता है वहां रजिस्ट्रीकरण, आवेदन की तारीख से साठ दिन के अंतरवात् उक्त व्यक्ति की उपस्थिति में, नियम 25 में उपबंधित रीति में केवल कारबार के मूल स्थान का वार्षिक सत्यापन करने के पश्चात् ही दिया जाएगा और ऐसी स्थिति में उपनियम (5) के उपबंध लागू नहीं होंगे।”
4. उक्त नियमों में नियम 25 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-
“कतिपय मामलों में, कारबार परिसर का वार्षिक सत्यापन- जहां समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति के कारबार के स्थान का वार्षिक सत्यापन रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने से पहले या रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के पश्चात् किसी अन्य कारण से आधार अधिग्रहण में असफल होने के कारण अपेक्षित है वहां वह उक्त व्यक्ति के उपस्थिति में, कारबार के स्थान का ऐसा सत्यापन कर सकेगा, और जोड़े सहित अन्य दस्तावेजों के साथ सत्यापन रिपोर्ट, ऐसे सत्यापन की तारीख से अगली गन्दह कार्य दिवसों की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी अधिनियम-30 में सतमान्य पोर्टल पर अपलोड करेगा।”
5. उक्त नियमों के नियम, 43 के उपनियम (1) में 1 अप्रैल, 2020 से:-

(क) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जायेगा :-
'ए' के रूप में चोटित ऐसे पूंजी माल के संबंध में जो खंड (क) और खंड (ख) के अधीन नहीं आते हैं, इनपुट कर की रकम, बीजक में परिचलित टैक्स की राशि होने के माते, को इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में जमा किया जायेगा और ऐसे माल का उपयोगी जीवन, ऐसे माल के बीजक से पांच वर्ष होगा :

परंतु जहां कोई पूंजी माल खंड (क) के अधीन पूर्वतन आया है इस खंड के अधीन तत्पश्चात् आयेगा व के अनुसार उल्लिखित ऐसे पूंजी माल के संबंध में निर्देश कर इस खंड के अधीन इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता में जमा की जाएगी, ऐसी पूंजी माल के दौरान अवधि के लिए अपत्र प्रत्यय मानते हुए 'टाई' के रूप में उल्लिखित खंड (क) के अंतर्गत आते हैं प्रत्येक तिमाही या उससे भाग के लिए पांच प्रतिशत जकों को दर पर परिकलित किया जाएगा और कर अवधि जिसमें ऐसे प्रत्यय का प्राव किया गया है, के निर्णय कर दायित्व को सम्मिलित करेगा :

परंतु यह कि रकम 'टाई' केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और समाकलित कर के निर्देश कर प्रत्यय के लिए अलग से गणना की जाएगी और प्ररूप जीएसटीआर-3ख में घोषित की जाएगी :

(ख) खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

'क' की रकम का संकलित प्रत्यय सामान्य पूंजी माल के संबंध में खंड 'ग' के अधीन इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता जमा किया गया, जिसका उपयोग कर अवधि के दौरान होता है, जो कि 'टी सी' के रूप में निरूपित किया जाता है, ऐसी पूंजी माल के संबंध में सामान्य प्रत्यय होगा :

परंतु जहां कोई पूंजी माल खंड (ख) के अधीन पहले से ही अध्यादित है, वह खंड (ग) के अधीन पश्चातवर्ती आध्यादित या ऐसी पूंजी माल के संबंध में निर्देश का प्रत्यय मांग समाकलित मूल्य 'टी सी' पर जोड़ा जाएगा :

(ग) खंड (ड) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'स्पष्टीकरण - संदेह का निवारण करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी पूंजी माल का उपयोगी जीवन बीजक की तारीख से पांच वर्षों तक विचार में लिया जाएगा और उस सूत्र, उस पूंजी माल के उपयोगी जीवन के दौरान लागू होगा । :

(घ) खंड (घ) का शेष किया जाएगा ।

6. उपर्युक्त नियमावली में, नियम 80 में उपबन्ध (3) में, निम्नलिखित 'परन्तु' के अंतःस्थापित किया जाएगा :-

'बशर्ते कि हर पंजीकृत व्यक्ति जिसका सकल करोबार वित्तीय वर्ष 2018-19 में पांच करोड़ रुपये से अधिक रहा होगा, जो अपने बड़ी खातों की धारा 35 की उपधारा (5) में यथा विनिर्दिष्ट रूप से लेखा परीक्षा/परीक्षित करनी होगी और वह उस लेखा परीक्षा/परीक्षित वार्षिक बड़ी खातों की एक प्रति, विधिवत अभिप्रायित हो, वित्तीय वर्ष 2018-19 के FORM GSTR-9C में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से, चाहे सीधे ही या बड़े आयुक्त के द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे ।'

7. उक्त नियमों के नियम 88 में उपनियम (4) के बाद निम्नलिखित उप-नियम को अंतर्स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(4क) जहाँ राजस्वीकृत व्यक्ति किसी संवत् रकम जो कि दोषपूर्ण कर संवत् या अधिकतम में संवत् पर के प्रतिदाय का दावा किया है, जिसके लिए विकल्प इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता से किया गया है, उक्त रकम, यदि-प्राप्त पायी जाती है, को प्ररूप जी एस टी वी एम टी-03 में उल्लिखित आदेश द्वारा उचित अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता में पुनः प्रत्यय किया जाएगा ।"

8. उक्त नियमों के नियम 89 में, उपनियम (4) में, खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :-

"(ग) 'माफ़े का शुल्क-दर पूर्ति का व्यापारवर्त' का अर्थ ब्याज-वा उपकम पत्र या कौशल के अधीन कर के संदाय के बिना सुसंगत अवधि के दौरान किए गए माफ़े की शुल्क दर पूर्ति की कीमत है जो प्रदायकर्ता द्वारा समायोजित नहीं या समान रूप से रखे गए प्रदायकर्ता द्वारा धरेलू माफ़े की पूर्ति के बराबर की सीमा का +5 गुना है, जो उपनियम (4क) या उपनियम 4 (ख) या दोनों के अधीन वापसी के लिए दावा किया गया है, के संबंध में पूर्तियों से निम्न व्यापारवर्त से कम है ।"

9. उक्त नियमों के नियम 92 में,-

(क) उप-नियम (1) के बाद निम्नलिखित उप-नियम को अंतर्स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(1क) जहाँ शुल्क दर पूर्ति या समझा गया निर्धारित पर संवत् कर की वापसी से निम्न कर के रूप में संवत् किसी रकम की वापसी का आवेदन की परीक्षा के लिए उचित अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (5) के अधीन की गई वापसी शीघ्र है और आवेदन को संदेय है, वह नकदी में संवत् किए जाने के लिए वापसी की रकम को स्वीकृत करते हुए प्ररूप आर एफ टी-06 में एक आदेश देगा अधिनियम के अधीन या किसी प्ररूप विधि के अधीन किसी बकाया भाग के विरुद्ध समायोजित रकम में उल्लिखित सुसंगत अवधि के लिए उन्मोचित कर दायित्व के लिए कुल संवत् रकम के विरुद्ध नकदी में विकसित रकम के लिए अनुपातिक और वापसी योग्य रकम का अतिशेष और शेष रकम के लिए जो ऐसे कर के संदाय के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता से विकसित किया गया है, उचित अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता में निवेश कर प्रत्यय को रूप में उक्त रकम को पुनः जमा करते हुए प्ररूप जी एस टी वी एम टी-03 जारी करेगा ।"

(ख) उप-नियम (4) में, "उप-नियम (1) के अधीन प्रतिदाययुक्त रकम" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "या उप-नियम (1क) शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

(ग) उप-नियम (8) में, "उप-नियम (1) के अधीन प्रतिदाययुक्त रकम" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "या उप-नियम (1क) शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे" ;

10. उक्त नियमों के नियम 96 के उप-नियम (10) के खंड (ख) जो कि 23 अक्टूबर, 2017 में प्रवृत्त हुआ, में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतर्स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"स्पष्टीकरण:- इस उपनियम के उद्देश्यों के लिए उसमें उल्लिखित अधिरूचनाओं के लक्ष्य केवल उपरोक्त के लिए विचार में नहीं लिए जाएंगे जहाँ पंजीकृत व्यक्ति निवेशों पर समाकलित भात और सेवा

कर और प्रतिकर चक्र संतुलित किया है और उक्त अधिसूचना के अधीन केवल आधारभूत सीमा शुल्क (बी सी डी) घुट प्राप्त होगी । ”

11. उक्त नियमों में, नियम 36क के बाद निम्नलिखित नियम को अंतर्स्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

“36 घ. नालों के निर्माण पर अनुपयोगिता निवेश कर प्रत्यय या समेकित, बंकि संदाय की वापसी की वसूली जहां निर्माण की वसूली की प्रक्रिया नहीं की जाती है -

(1) जहां नालों के निर्माण या नालों के निर्माण पर एकीकृत कर संदाय के लिए निवेश कर प्रत्यय का उपयोग न किए गए को कोई वापसी किसी आवेदन को संदाय की गई है किंतु ऐसे निर्माण नालों के संबंध में विक्रय की कार्यवाही संपूर्ण रूप से या उससे भाग रूप में वसूली नहीं की गयी है, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) के अखंड अनुच्छेद अन्वये के भीतर भारत में, ऐसी अवधि के किसी विस्तार को, समितित करने हुए, यह व्यक्ति जिसको प्रतिदाय किया गया है ऐसे प्रतिदाय की गई रकम को जमा करेगा, विक्रय प्रक्रिया की वसूली न किए गए के विस्तार तक, उक्त अवधि के समाप्ति के तीस दिनों के भीतर लागू बाजार के साथ, समस्थिति, विस्तारित अवधि आती है, जिसमें यह रकम का प्रतिदाय किया गया अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 के उपबन्धों के अनुसार वसूली जाएगी जैसी भी स्थिति हो, धारा 80 के अखंड अन्वये सहित जुटिपूर्ण वापसी के लिए वसूली की जाएगी।

परंतु जहां विक्रय की प्रक्रिया या उसका कोई भाग ऐसे निर्माण नालों के संबंध में विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) के अखंड अनुच्छेद अन्वये के भीतर आवेदक द्वारा वसूली नहीं की गई है, किंतु भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा/मुद्रा पर विक्रय प्रक्रियाओं की वसूली की आवश्यकता को अधिविस्तृत करता है, आवेदक को संदाय वसूली की वापसी नहीं होगी ।

(2) जहां विक्रय प्रक्रिया आवेदक द्वारा वसूली की जाती है वसूली की रकम के परवत् संपूर्ण रूप से या उससे भाग रूप में अधिनियम (1) के अखंड उससे वसूल की गयी है और आवेदक विक्रय प्रक्रिया के वसूली की तारीख से तीस महीने की अवधि के भीतर ऐसी वसूली के बारे में संकय प्रस्तुत करता है, ऐसी वसूल की गई रकम विक्रय प्रक्रियाओं के वसूली के विस्तार तक आवेदक को उचित अधिकारी द्वारा वापसी की जाएगी, परंतु विक्रय प्रक्रिया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा-अनुज्ञात ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर वसूल की गयी हो । ”

12. उक्त नियम में, नियम 141 के उप-नियम (2) में “आयुक्त” शब्द के स्थान पर “उचित अधिकारी” रखा जाएगा ।

13. उक्त नियम में, प्रकरण जी एस टी आर एक टी-01 में नियम 80(2)(3) के अधीन घोषणा के बाद निम्नलिखित वचनबद्ध को अंतर्स्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

वचन बंध

मैं एतद्वारा वचन देता हूँ कि जी एस टी नियम, 2017 की धारा 86 ख के साथ पठित आई जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 16 के परंतुक के अनुसार विदेश विनिमय की निपटारादेश की दशा में ब्याज के शुल्क संयुक्त प्रविष्टि की सही सरकार को जमा करना।

हस्ताक्षर-

नाम

वचन/प्रविष्टि 1

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के कार्यालय से तथा उनके नाम पर

(मनोज कुमार)

उप सचिव- IV (विश)

दिनांक 23/10/20

संख्या 03/27/विश (राज्य- I)/2020-21/डीएस- IV /129
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रसारित

- माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
- प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राज्य भाग - चार असाधारण में प्रसारनाथ।
- सचिव, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- अनुवृत्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.टी. एस्टेट, नई दिल्ली।
- माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- जतिरिक्त सचिव (विशिष्ट), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- नेता प्रतिष्ठा के निजी सचिव, 28, दिल्ली विधान सभा, प्रधान सचिवालय, दिल्ली।
- मुख्य सचिव के निवेश कार्यधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- वेब साईट।
- गार्ड फाइल।

(मनोज कुमार)

उप सचिव- IV (विश)

टिप्पणी: मूल नियम दिल्ली के राज्य असाधारण के भाग-IV में अधिसूचना तारीख 22 जून, 2017, सं. 03/10/विश(राज्य- I)/2017-18/डीएस- VI/342, तारीख 22 जून, 2017 में प्रकाशित किए गए और अतिरिक्त संशोधन अधिसूचना संख्या 08/2020-राज्य कर, तारीख 21/10/2020 को संख्या 03/46/विश(राज्य- I)/2020-21/डीएस- IV/126, तारीख 21/10/2020 में प्रकाशित किए गए थे।